झारखंड उच्च न्यायालय, रांची
एल.पी.ए. संख्या 161/2023

टिंकू कुमार रवानी, उम्र लगभग 32 वर्ष, पिता मदन मोहन रवानी

अपीलार्थी

बनाम

1. सचिव/प्रधान सचिव, गृह विभाग, धुर्वा, जिला-रांची के माध्यम से झारखंड राज्य।
2. झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, द्वारा अपने सचिव नामकोम जिला रांची
3. परीक्षाओं के नियंत्रक, झारखण्ड कर्मचारी चयन आयोग नामकोम जिला रांची
4. रविशंकर कुमार
5. प्रेम रंजन कुमार
6. नितिन कुमार मिश्रा
7. रविन्द्र कुमार सिंह
8. मनोज कुमार महतो
9. उत्तम कुमार महतो
10. संदीप राजवार
11. सुमित कुमार महतो
12. मोची राम महतो
13. नीरज कुमार यादव
14. उचित कुमार घोष
15. सुजान कुमार रॉय
16. रत्नेश कुमार
17. शिव कुमार
18. राजेश कुमार .... **उत्तरदाता**

कोरम : माननीय श्री न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद माननीय श्री न्यायमूर्ति अरुण कुमार राय

अपीलकर्ता के लिए : श्री मनोज टंडन, एडवोकेट
सुश्री नेहा भारद्वाज, एडवोकेट श्री अदम्या केरकेट्टा, एडवोकेट
राज्य के लिए : श्री आदित्य रमन, एसी से जीए-III

08/दिनांक: 18.04.2024

1. तत्काल इंट्रा-कोर्ट अपील लेटर्स पेटेंट के खंड-10 के तहत है, जो इस न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा डब्ल्यू.पी (एस) संख्या 3610/2017 में पारित आदेश/निर्णय दिनांक 10.03.2021 के खिलाफ निर्देशित है, जिसके तहत और जिसके तहत, रिट याचिकाकर्ता/अपीलकर्ता और अन्य द्वारा पसंद की गई रिट याचिका को खारिज कर दिया गया है।

अंतरवर्ती आवेदनसं.3315/2023

2. यद्यपि, यह आधार लिया गया है कि यही मामला माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष लंबित है, लेकिन यहां प्रश्न यह है कि जब मामला सीमा द्वारा वर्जित है, तो यह इस न्यायालय पर निर्भर करता है कि वह पहले सीमा के मुद्दे पर निर्णय ले।

3. तदनुसार, हमने परिसीमा के मुद्दे पर विचार किया है।

4. तत्काल अपील 303 दिनों की अत्यधिक देरी से वर्जित है, इसलिए, उपरोक्त देरी को माफ करने के लिए एक आवेदन अंतरवर्ती आवेदन संख्या 3315/2023 दायर किया गया है।

5. इस न्यायालय ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि 303 दिनों की अत्यधिक देरी के बाद तत्काल इंट्रा-कोर्ट अपील दायर की गई है, यह उचित और उचित समझता है, योग्यता के आधार पर आक्षेपित आदेश की वैधता और औचित्य पर जाने से पहले देरी माफी आवेदन पर विचार करने के लिए।

6. देरी की माफी का आधार तत्काल अंतरवर्ती आवेदन में की गई दलील के अनुसार लिया गया है कि अपीलकर्ता एक बेरोजगार व्यक्ति है, इसलिए, वह समय पर अपील नहीं कर सकता है, जो अपीलकर्ता के अनुसार जानबूझकर और जानबूझकर नहीं है।

7. इसलिए, अपीलकर्ता की ओर से पेश विद्वान वकील ने तत्काल अंतरवर्ती आवेदन में दिए गए कारण के अनुसार देरी को माफ करने की प्रार्थना की है।

8. हमने विलंब माफी आवेदन पर पक्षकारों के विद्वान वकील को सुना है और उस पर विचार करने से पहले, यह न्यायालय कुछ कानूनी प्रस्ताव को संदर्भित करना उचित और उचित समझता है जैसा कि किया गया है

(घ) माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा असाधारण विलंब को माफ करने के न्यायालय के दृष्टिकोण के संबंध में एक निर्णय दिया गया है।

9. इस तथ्य के बारे में कोई विवाद नहीं है कि आम तौर पर *लिस* को सीमा के तकनीकी आधार पर खारिज नहीं किया जाना है, लेकिन निश्चित रूप से अगर अपील दायर करने में अत्यधिक देरी होती है, तो न्यायालय का कर्तव्य है कि वह लिसिस की योग्यता में प्रवेश करने से पहले देरी को माफ करने के लिए आवेदन पर विचार करे।

10. यह यहां उल्लेख करने की आवश्यकता है कि सीमा का कानून कानूनी कहावत इंटरेस्ट *रीपब्लिके* अट *सिट फिनिस लिटियम में निहित है* (यह सामान्य कल्याण के लिए है कि एक अवधि को मुकदमेबाजी में रखा जाए)। सीमा के नियम पार्टियों के अधिकारों को नष्ट करने के लिए नहीं हैं, बल्कि विचार यह है कि हर कानूनी उपाय को विधायी रूप से निश्चित अवधि के लिए जीवित रखा जाना चाहिए, जैसा कि बृजेश कुमार और अन्य बनाम हरियाणा राज्य और अन्य में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय में आयोजित किया गया ***है। (2014) 11 एससीसी 351।***

11. प्रिवी काउंसिल ***जनरल एक्सीडेंट फायर एंड लाइफ एश्योरेंस कॉर्प लिमिटेड बनाम जनमोहम्मद अब्दुल रहीम, (1939-40)***

67 आईए 416, में टैगोर लॉ लेक्चरर्स, 1932 में श्री मित्रा के लेखन पर भरोसा करता है, जिसमें, यह कहा गया है कि:

> "सीमा और सुखाधिकार पाने का कानून किसी विशेष मामले में कठोर और अन्यायपूर्ण रूप से संचालित हो सकता है, लेकिन यदि कानून एक सीमा प्रदान करता है, तो इसे किसी विशेष पार्टी के लिए कठिनाई के जोखिम पर भी लागू किया जाना चाहिए क्योंकि न्यायाधीश, न्यायसंगत आधार पर, कानून द्वारा अनुमत समय को बढ़ा नहीं सकता है, इसके संचालन को स्थगित नहीं

कर सकता है, या कानून द्वारा अमान्य अपवादों को लागू नहीं कर सकता है

12. पीके रामचंद्रन बनाम केरल राज्य, (1997) 7 एससीसी 556 ***में***, 565 दिनों के विलंब के क्षमादान के मामले पर विचार करते हुए उच्चतम न्यायालय ने जिसमें विलंब की क्षमा के लिए कोई उचित या संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दिया गया था: के पैरा 6 में निम्नानुसार अवधारित किया

> "6. परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन इसे अपनी पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है और न्यायालयों के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है"।

13. इसी तरह के मुद्दे पर विचार करते हुए, ***ईशा भट्टाचार्जी बनाम रघुनाथपुर नफर अकादमी, (2013) 12 एससीसी 649 में इस न्यायालय*** ने कहा, जिसमें, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है:

> "21.5 (v) देरी की माफी मांगने वाले पक्ष के लिए आरोपित सदाशयता का अभाव एक महत्वपूर्ण और प्रासंगिक तथ्य है।
>
> 21.7. (vii) उदार दृष्टिकोण की अवधारणा को तर्कसंगतता की अवधारणा को समाहित करना है और इसे पूरी तरह से निरंकुश मुक्त खेल की अनुमति नहीं दी जा सकती है।
>
> 21.9. (ix) किसी पार्टी का आचरण, व्यवहार और उसकी निष्क्रियता या लापरवाही से संबंधित रवैया प्रासंगिक कारक हैं जिन्हें ध्यान में रखा जाना है। ऐसा इसलिए है क्योंकि मूल सिद्धांत यह है कि न्यायालयों को दोनों पक्षों के संबंध में न्याय संतुलन के पैमाने को तौलना आवश्यक है और उदार दृष्टिकोण के नाम पर उक्त सिद्धांत को पूरी तरह से नजरअंदाज नहीं

किया जा सकता है।

22.4. (डी) देरी को एक गैर-गंभीर मामले के रूप में देखने की बढ़ती प्रवृत्ति और इसलिए, अभावपूर्ण प्रवृत्ति को एक बेपरवाह तरीके से प्रदर्शित किया जा सकता है, निश्चित रूप से, कानूनी मापदंडों के भीतर अंकुश लगाने की आवश्यकता है।

14. यह कानून की स्थापित स्थिति है कि जब कोई वादी सदाशयी उद्देश्य से कार्य नहीं करता है और साथ ही, निष्क्रियता और अपनी ओर से लापरवाही के कारण, अपील दायर करने की सीमा की अवधि समाप्त हो जाती है, तो ऐसी सदाशयता की कमी और घोर निष्क्रियता और लापरवाही महत्वपूर्ण है

विलंब की क्षमा के प्रश्न पर विचार करते समय जिन कारकों को ध्यान में रखा जाना चाहिए।

15. रामलाल, मोतीलाल और छोटेलाल बनाम ***रीवा कोलफील्ड्स लिमिटेड, (1962) 2 एससीआर 762 और अन्य के मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने***

माना है कि केवल इसलिए कि दिए गए मामले के तथ्यों में पर्याप्त कारण बताए गए हैं, अपीलकर्ता को देरी को माफ करने का कोई अधिकार नहीं है। पैराग्राफ -12 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

"**12.** तथापि, इस बात पर जोर देना आवश्यक है कि पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद भी एक पक्ष अधिकार के रूप में प्रश्न में विलंब की माफी का हकदार नहीं है। पर्याप्त कारण का प्रमाण धारा 5 द्वारा न्यायालय में निहित विवेकाधीन क्षेत्राधिकार के प्रयोग के लिए एक पूर्ववर्ती शर्त है। यदि पर्याप्त कारण साबित नहीं होता है तो आगे कुछ भी नहीं किया जाना चाहिए; विलंब को क्षमा करने के आवेदन को केवल इसी आधार पर खारिज किया जाना चाहिए। यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो

अदालत को यह जांच करनी होगी कि क्या उसे अपने विवेक से देरी को माफ करना चाहिए। मामले का यह पहलू स्वाभाविक रूप से सभी प्रासंगिक तथ्यों पर विचार करने का परिचय देता है और यह इस स्तर पर है कि पार्टी या उसकी सदाशयता का परिश्रम विचार के लिए गिर सकता है; लेकिन पर्याप्त कारण दिखाए जाने के बाद विवेकाधीन शक्ति का प्रयोग करते समय जांच का दायरा स्वाभाविक रूप से केवल ऐसे तथ्यों तक सीमित होगा जिन्हें न्यायालय प्रासंगिक मान सकता है। यह इस जांच को सही नहीं ठहरा सकती कि पार्टी अपने पास उपलब्ध हर समय निष्क्रिय क्यों बैठी रही। इस संबंध में हम यह इंगित कर सकते हैं कि जब न्यायालय परिसीमा अधिनियम की धारा 14 के तहत किए गए आवेदनों पर विचार कर रहा होता है तो सदाशयता या उचित परिश्रम के विचार हमेशा भौतिक और प्रासंगिक होते हैं। ऐसे आवेदनों से निपटने में अदालत को धारा 5 और 14 के संयुक्त प्रावधानों के प्रभाव पर विचार करने के लिए कहा जाता है। इसलिए, हमारी राय में, जिन विचारों को धारा 14 के प्रावधानों द्वारा स्पष्ट रूप से सामग्री और प्रासंगिक बनाया गया है, वे

उन आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए भी उसी सीमा तक और उसी तरीके से लागू किया जाना चाहिए जिनका निर्णय धारा 14 के संदर्भ के बिना केवल धारा 5 के अधीन किया जाना है। वर्तमान मामले में यह मानने में कोई कठिनाई नहीं है कि अपीलकर्ता के पक्ष में विवेक का प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि परिसीमा की अवधि के दौरान अपीलकर्ता की परिश्रम की कमी के खिलाफ की गई सामान्य आलोचना के अलावा इसके खिलाफ कोई अन्य तथ्य नहीं दिया गया था। वास्तव में, जैसा कि हमने पहले ही बताया है, विद्वान न्यायिक आयुक्त ने अपीलकर्ता के आवेदन को केवल इस आधार पर देरी के लिए माफी के लिए खारिज कर दिया कि निर्धारित अवधि के भीतर जितनी जल्दी

हो सके अपील दायर करना अपीलकर्ता का कर्तव्य था, और हमारी राय में, यह एक वैध आधार नहीं है।

16. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि विलंब माफी आवेदन पर विचार करते समय, न्यायालय को विलंब की माफी के लिए पर्याप्त कारण पर विचार करने की आवश्यकता होती है और वादी के दृष्टिकोण पर भी विचार करना आवश्यक है कि क्या यह *सदाशयी है* या नहीं क्योंकि सीमा की अवधि समाप्त होने के बाद, दूसरे पक्ष के पक्ष में एक अधिकार अर्जित होता है और इस तरह, वादी के वास्तविक उद्देश्य पर गौर करना आवश्यक है और साथ ही, निष्क्रियता और उसकी ओर से कमी के कारण।

17. इसमें यह भी उल्लेख करना आवश्यक है कि 'पर्याप्त कारण' का अर्थ क्या है। 'पर्याप्त कारण' के अर्थ पर विचार ***बसवराज और अन्य बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, [(2013) 14 एससीसी 81] में किया गया है,*** जिसमें, यह माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पैराग्राफ 9 से 15 में आयोजित किया गया है: -

> "**9.** पर्याप्त कारण वह कारण है जिसके लिए प्रतिवादी को उसकी अनुपस्थिति के लिए दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। "पर्याप्त" शब्द का अर्थ "पर्याप्त" या "पर्याप्त" है, जितना कि इच्छित उद्देश्य का उत्तर देने के लिए आवश्यक हो सकता है। इसलिए, शब्द "पर्याप्त" साधारण बात प्रदान करने वाले से अधिक नहीं स्वीकारता
>
> जो जब कार्य किया जाता है तो किसी मामले में मौजूद तथ्यों और परिस्थितियों में इच्छित उद्देश्य को पूरा करने के लिए पर्याप्त होता है, एक सतर्क व्यक्ति के उचित मानक के दृष्टिकोण से विधिवत जांच की जाती है। इस संदर्भ में, "पर्याप्त कारण" का अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या

किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सदाशयता की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "लगन से काम नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को संबंधित अदालत को इस कारण से विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार देना चाहिए कि जब भी अदालत विवेक का प्रयोग करती है, तो इसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना पड़ता है। आवेदक को अदालत को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, अदालत को देरी की माफी के लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अदालत को यह जांचना होगा कि क्या गलती वास्तविक है या केवल एक गुप्त उद्देश्य को कवर करने के लिए एक उपकरण था। (देखें मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी [एआईआर 1964 एससी 1336], माता दीन बनाम ए. नारायणन [(1969) 2 एससीसी 770: एआईआर 1970 एससी 1953] , परिमल वी। वीणा [(2011) 3 एससीसी 545: (2011) 2

(क) क्या यह सच है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने एससीसी (सीआईवी) 1 एआईआर 2011 एससी 1150 और मणिबेन देवराज शाह बनाम नगर निगम लिमिटेड (सिवि) के मामले में दिनांक 10-11-2010 के अपने आदेश में यह उल्लेख किया है कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय में दिनांक 10-11-2010 के आदेश के माध्यम से दिनांक 1 बृहन मुंबई की संख्या [(2012) 5 एससीसी 157: (2012) 3 एससीसी (सीआईवी) 24: एआईआर 2012 एससी 1629]।

10. अर्जुन सिंह बनाम मोहिंद्रा कुमार [एआईआर 1964 एससी 993] में इस न्यायालय ने "अच्छे कारण" और "पर्याप्त कारण" के बीच के अंतर

को समझाया और कहा कि प्रत्येक "पर्याप्त कारण" एक अच्छा कारण है और इसके विपरीत। हालांकि, यदि कोई अंतर मौजूद है, तो यह केवल यह हो सकता है कि अच्छे कारण की आवश्यकता का अनुपालन "पर्याप्त कारण" की तुलना में कम प्रमाण पर किया जाता है।

11. अभिव्यक्ति "पर्याप्त कारण" को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता या सदाशयता की कमी संबंधित पार्टी पर आरोपित नहीं की जा सकती है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई स्टेट जैकेट (सीधा साधा) फार्मूला संभव नहीं है

(मदनलाल बनाम श्यामलाल [(2002) 1 एससीसी 535: एआईआर 2002 एससी 100] और राम नाथ साव बनाम गोबर्धन साव [(2002) 3 एससीसी 195: एआईआर 2002 एससी 1201] के माध्यम से।

12.यह एक स्थापित कानूनी प्रस्ताव है कि परिसीमा का कानून किसी विशेष पक्ष को कठोर रूप से प्रभावित कर सकता है, लेकिन जब क़ानून ऐसा निर्धारित करता है तो इसे पूरी कठोरता के साथ लागू किया जाना चाहिए। न्यायालय के पास न्यायसंगत आधार पर सीमा की अवधि बढ़ाने की कोई शक्ति नहीं है। "एक वैधानिक प्रावधान से बहने वाला परिणाम कभी भी एक बुराई नहीं है। एक अदालत के पास उस प्रावधान को नजरअंदाज करने की कोई शक्ति नहीं है जिसे वह अपने संचालन से उत्पन्न संकट मानता है। वैधानिक प्रावधान किसी विशेष पक्ष को कठिनाई या असुविधा का कारण बन सकता है लेकिन अदालत के पास इसे पूर्ण प्रभाव देते हुए इसे लागू करने के अलावा कोई विकल्प नहीं है। कानूनी कहावत ड्यूरा लेक्स सेड लेक्स जिसका अर्थ है "कानून कठिन है लेकिन यह कानून है", ऐसी स्थिति में आकर्षित होता है। यह लगातार माना गया है कि, "असुविधा एक निर्णायक कारक नहीं है" जिस पर एक क़ानून की व्याख्या करते समय विचार किया जाना चाहिए।

13. सीमा का क़ानून सार्वजनिक नीति पर स्थापित किया गया है, इसका

उद्देश्य समुदाय में शांति को सुरक्षित करना, धोखाधड़ी और झूठी गवाही को दबाना, परिश्रम को तेज करना और उत्पीड़न को रोकना है। यह अतीत के उन सभी कृत्यों को दफनाने का प्रयास करता है जो अस्पष्ट रूप से उत्तेजित नहीं हुए हैं और समय बीतने के बाद से बासी हो गए हैं। इंग्लैंड के हाल्सबरी के नियमों के अनुसार, वॉल्यूम - 28 पी 266

"605. परिसीमा अधिनियमों की नीति--न्यायालयों ने सीमाओं की विधियों के अस्तित्व का समर्थन करने वाले कम से कम तीन अलग-अलग कारण व्यक्त किए हैं, अर्थात्, (1) लंबे समय से निष्क्रिय दावों में न्याय की तुलना में क्रूरता अधिक है,

(2) कि एक प्रतिवादी ने एक बासी दावे को खारिज करने के लिए सबूत खो दिए होंगे, और (3) कार्यों के अच्छे कारणों वाले व्यक्तियों को उचित परिश्रम के साथ उनका पीछा करना चाहिए।

एक असीमित सीमा असुरक्षा और अनिश्चितता की भावना को जन्म देगी, और इसलिए, सीमा अशांति या वंचित को रोकती है जो लंबे समय तक आनंद से इक्विटी और न्याय में हासिल की जा सकती है या जो किसी पार्टी की अपनी निष्क्रियता से खो सकती है,

लापरवाही या लाच। (देखें पोपट और कोटेचा प्रॉपर्टी बनाम एसबीआई स्टाफ एसोसिएशन [(2005) 7 एससीसी 510], राजेंद्र सिंह बनाम संता सिंह [(1973) 2 एससीसी 705: एआईआर 1973 एससी 2537] और पुंडलिक जालम पाटिल बनाम जलगांव मीडियम प्रोजेक्ट [(2008) 17 एससीसी 448]

14. पी. रामचंद्र राव वी. कर्नाटक राज्य [(2002)

4 एससीसी 578] इस न्यायालय ने माना कि न्यायिक रूप से सीमा के सिद्धांतों को लागू करना कानून बनाने के बराबर है और अब्दुल रहमान अंतुले बनाम आरएस नायक [(1992) 1 एससीसी 225] में संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून के सामने उड़ जाएगा।

15. इस मुद्दे पर कानून को संक्षेप में इस आशय से प्रस्तुत किया जा सकता है कि जहां एक मामला सीमा से परे अदालत में प्रस्तुत किया गया है, आवेदक को अदालत को यह बताना होगा कि "पर्याप्त कारण" क्या था जिसका अर्थ है एक पर्याप्त और पर्याप्त कारण जिसने उसे सीमा के भीतर अदालत से संपर्क करने से रोका। यदि कोई पक्ष लापरवाह पाया जाता है, या मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में उसकी ओर से सदाशयता की कमी के कारण, या यह पाया जाता है कि उसने लगन से काम नहीं किया है या निष्क्रिय रहा है, तो देरी को माफ करने के लिए एक उचित आधार नहीं हो सकता है। किसी भी अदालत द्वारा कोई भी शर्त लगाकर इस तरह के असाधारण विलंब को माफ करने का कोई औचित्य नहीं ठहराया जा सकता है। आवेदन पर विलंब की क्षमा के संबंध में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित मापदंडों के भीतर ही निर्णय लिया जाना है। यदि किसी वादी को बिना किसी औचित्य के देरी को माफ करने के लिए समय पर अदालत जाने से रोकने के लिए पर्याप्त कारण नहीं था, तो कोई भी शर्त लगाना, वैधानिक प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला आदेश पारित करने के समान है और यह विधायिका की अवहेलना दिखाने के समान है।

18. इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि पर्याप्त कारण का अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से सदाशयता की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "जानबूझकर कार्य नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"। हालांकि, प्रत्येक के तथ्य और परिस्थितियां

मामले को संबंधित न्यायालय को इस कारण से विवेक का प्रयोग करने में सक्षम बनाने के लिए पर्याप्त आधार देना चाहिए कि जब भी न्यायालय विवेक का प्रयोग करता है, तो इसे विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करना पड़ता है। आवेदक को न्यायालय को संतुष्ट करना चाहिए कि उसे अपने मामले पर मुकदमा चलाने से किसी भी "पर्याप्त कारण" से रोका गया था, और जब तक एक संतोषजनक स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया जाता है, न्यायालय को देरी की माफी के

लिए आवेदन की अनुमति नहीं देनी चाहिए। न्यायालय को यह जांचना होगा कि क्या गलती वास्तविक है या केवल गुप्त उद्देश्य को कवर करने के लिए एक उपकरण था जैसा कि ***मनिंद्र लैंड एंड बिल्डिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड बनाम भूतनाथ बनर्जी और अन्य, एआईआर 1964 एससी 1336, लाला मातादीन बनाम***

ए. नारायणन, (1969) 2 एससीसी 770, परिमल वीणा @ भारती, (2011) 3 एससीसी 545 और मणिबेन देवराज शाह बनाम बृहन मुंबई नगर निगम, (2012) 5 एससीसी 157 में आयोजित किया गया है।

.

19. पूर्वोक्त निर्णयों में आगे यह माना गया है कि अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' को यह सुनिश्चित करने के लिए एक उदार व्याख्या दी जानी चाहिए कि पर्याप्त न्याय किया जाता है, लेकिन केवल तब तक जब तक लापरवाही, निष्क्रियता या सदाशयता की कमी संबंधित पक्ष पर आरोपित नहीं की जा सकती है, चाहे पर्याप्त कारण प्रस्तुत किया गया हो या नहीं, किसी विशेष मामले के तथ्यों पर निर्णय लिया जा सकता है और कोई स्ट्रेटजैकेट फॉर्मूला संभव नहीं है, इस संबंध में राम ***नाथ साव*** उर्फ़ ***राम नाथ साहू और अन्य बनाम गोबर्धन साव और अन्य, (2002) 3 एससीसी 195 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय का संदर्भ दिया जा सकता है***, जिसमें, पैराग्राफ -12 में, यह निम्नानुसार आयोजित किया गया है: -

> "**12.** इस प्रकार यह स्पष्ट हो जाता है कि अधिनियम की धारा 5 या संहिता के आदेश 22 नियम 9 या किसी और समान उपबंध

एक उदार सोच प्राप्त करना चाहिए ताकि पर्याप्त न्याय को आगे बढ़ाया जा सके जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या सदाशयता की कमी किसी पार्टी के लिए आरोपित न हो। किसी विशेष मामले में प्रस्तुत स्पष्टीकरण "पर्याप्त कारण" का गठन करेगा या नहीं, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा। कदम उठाने में हुई देरी के लिए प्रस्तुत स्पष्टीकरण को स्वीकार करने या अस्वीकार करने के लिए कोई सीधा साधा (स्ट्रेटजैकेट) फॉर्मूला नहीं हो सकता है। लेकिन एक बात स्पष्ट है कि न्यायालयों को दिखाए गए कारणों में दोष ढूंढने की प्रवृत्ति के साथ आगे नहीं बढ़ना चाहिए और निपटान अभियान के अति-उत्साह में एक बेपरवाह (स्लिपशोड) आदेश द्वारा याचिका को खारिज कर देना चाहिए। प्रस्तुत स्पष्टीकरण की स्वीकृति नियम और इनकार होना चाहिए, एक अपवाद, विशेष रूप से तब जब कोई लापरवाही या निष्क्रियता या सदाशयता की इच्छा को डिफ़ॉल्ट पक्ष पर आरोपित नहीं किया जा सकता है। दूसरी ओर, मामले पर विचार करते समय अदालतों को इस तथ्य को नहीं भूलना चाहिए कि निर्धारित समय के भीतर कदम नहीं उठाने से दूसरे पक्ष को एक मूल्यवान अधिकार प्राप्त हुआ है, जिसे नियमित तरीके से देरी को माफ करके हल्के ढंग से पराजित नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि, मामले के पांडित्यपूर्ण और अतितकनीकी दृष्टिकोण को लेने से प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अस्वीकार नहीं किया जाना चाहिए जब मामले में तथ्यों और कानून के उच्च और तर्कसंगत बिंदु शामिल होते हैं, जिससे उस पार्टी को भारी नुकसान और अपूरणीय क्षति होती है जिसके खिलाफ लिस समाप्त हो जाता है, या तो डिफ़ॉल्ट रूप से या निष्क्रियता से और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने के लिए ऐसी पार्टी के मूल्यवान अधिकार को हराना। मामले पर विचार करते समय, अदालतों को उस आदेश के परिणामी प्रभाव के बीच संतुलन बनाना होगा जो वह किसी भी तरह से पक्षों को पारित करने जा रहा है।

20. यह ऊपर उल्लिखित निर्णयों से स्पष्ट है, जिसमें, अभिव्यक्ति 'पर्याप्त कारण' से निपटा गया है, जिसका अर्थ है कि पार्टी को लापरवाही से काम नहीं करना चाहिए था या किसी मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए उसकी ओर से *सदाशयता* की कमी थी या यह आरोप नहीं लगाया जा सकता है कि पार्टी ने "जानबूझकर काम नहीं किया है" या "निष्क्रिय रहा"।

21. यह न्यायालय, पूर्वोक्त प्रस्ताव और 303 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए देरी माफी आवेदन में प्रस्तुत स्पष्टीकरण पर विचार करने के बाद, यह जांच करने के लिए आगे बढ़ रहा है कि क्या प्रस्तुत स्पष्टीकरण को देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त स्पष्टीकरण कहा जा सकता है।

22. जैसा कि देरी से माफी आवेदन में दिए गए स्पष्टीकरण से प्रतीत होता है कि अपीलकर्ता एक बेरोजगार व्यक्ति है, इसलिए, वह समय पर अपील नहीं कर सका।

23. बेशक, आक्षेपित निर्णय 10.03.2021 को पारित किया गया था और निर्णय की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने की मांग 21.02.2023 को की गई थी जो लगभग 2 वर्षों की अवधि के बाद है।

24. इसलिए, इस न्यायालय का विचार है कि देरी माफी आवेदन में अपीलकर्ता द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण को अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है और इस तरह, यह अपीलकर्ता के कठोर दृष्टिकोण को दर्शाता *है उसकी एलआईएस* (मुक़दमा) जिसे 303 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए पर्याप्त कारण नहीं कहा जा सकता है।

25. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने

एल.पी.ए संख्या 86/2021 05.01.2022 को देरी माफी आवेदन को खारिज कर दिया क्योंकि देरी को माफ करने के लिए बिना किसी पर्याप्त कारण के लगभग 687 दिनों की देरी के बाद अपील दायर की गई थी।

26. एक अन्य मामले का संदर्भ यहां एलपीए संख्या 835/2019 में इस न्यायालय की समन्वय पीठ द्वारा पारित एक आदेश का संदर्भ देने की आवश्यकता है, जिसमें 568 दिनों की देरी को माफ करने का मुद्दा विचाराधीन था।

27. इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने राज्य अपीलकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कारण को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय पर भरोसा करके फाइल को एक तालिका से दूसरी तालिका में ले जाने के आधार पर पर्याप्त कारण नहीं पाया है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है।

28. राज्य अपीलकर्ता ने एस.एल.पी संख्या 7755/2022 होने के नाते एसएलपी दायर करके माननीय सर्वोच्च न्यायालय की यात्रा की है और एलपीए संख्या 835/2019 में पारित आदेश को चुनौती दी है, लेकिन एस.एल.पी संख्या 7755/2022 को खारिज कर दिया गया है जैसा कि दिनांक 13.05.2022 के आदेश से प्रकट होगा।

29. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 28 अप्रैल, 2023 को झारखंड राज्य द्वारा एल.पी.ए संख्या 99/2021 में पारित आदेश के खिलाफ दायर अपील (सी) संख्या 8378-8379/2023 को खारिज कर दिया है, जिसमें इस न्यायालय की समन्वय पीठ ने अपील दायर करने में 534 दिनों की देरी के आधार पर उक्त अपील को खारिज कर दिया था।

30. हाल ही में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एसएलपी (सी) डायरी सं 3188 ऑफ 2024 को दिनांक 02.02.2024 को खारिच कर दिया है जो झारखंड राज्य द्वारा एलपीए संख्या 401/2022 में इस न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 14.08.2023 के खिलाफ दायर किया गया था, जिसमें 259 दिनों की देरी को माफ नहीं किया गया था।

31. इस न्यायालय ने, ऊपर संदर्भित निर्णयों में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित अनुपात और विलंब माफी आवेदन में प्रस्तुत स्पष्टीकरण को ध्यान में रखते हुए, यह विचार है कि अपील दायर करने में 303 दिनों की अत्यधिक देरी को माफ करने के लिए कोई पर्याप्त कारण नहीं दिखाया गया है।

32. तदनुसार, बिलम्ब क्षमादान आवेदन मौजूदा अंतरवर्ती आवेदन संख्या 3315/2023 एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

33. उसके परिणाम स्वरुप, तत्काल अपील भी खारिच की जाती है

(सुजीत नारायण प्रसाद, जे.)

(अरुण कुमार राय, जे.)

रोहित/-**ए.एफ.आर.**

यह अनुवाद शिव बचन यादव, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया।

+

34.